कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश,डूँगरपुर(राज०)

फोन न०:— 02964—230365

ई—मेलः—dc-dun-rj@nic.in

क्रमांक : लेखा—निविदा / 2025 / 103-111 **दिनांक : 10.01.2025**

—:: निविदा सूचना ::—

जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय, परिसर में लिटिगेशन शेड के उपर निर्मित केंटिन को संचालन हेतु दिया जाना है, जिसके लिये इच्छुक से निविदाएं आमंत्रित की जा रही है। निविदा आवेदन पत्र दिनांक 13.01.2025 से 21.01.2025 को सायं 4.30 बजे तक कार्यालय समय में जिला न्यायालय के लेखा शाखा से 50/—रू. शुल्क पर प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण भरे हुए निविदा फॉर्म दिनांक 22.01.2025 को सायं 04.30 बजे तक जिला न्यायालय के लेखा शाखा में बंद लिफाफे में जमा कराये जा सकते है। निविदा की शर्ते निम्नानुसार है :—

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निर्धारित तिथि को राजकीय अवकाश घोषित होने पर संबंधित प्रक्रिया अगले कार्यदिवस को सम्पन्न की जावेगी।
4. निविदा के माध्यम से न्यायालय परिसर में केंटिन को संचालन हेतु दिया जाना है।
5. किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकार अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
6. निविदा संबंधी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
7. दरें अंकों और शब्दों में भरनी होंगी। कांट—छांट जहां तक सम्भव हो, नहीं होनी चाहिए। कांट—छांट पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक है।
8. निविदा बंद लिफाफे में निर्धारित तिथि 22.01.2025 को सायं 04.30 बजे तक कार्यालय में जमा होनी चाहिए। बंद लिफाफे के उपर केंटिन संचालन हेतु निविदा अंकित होना चाहिए। मध्य भाग पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर एवं नीचे बायी तरफ निविदादाता का नाम व पता अंकित होना चाहिए।
9. प्राप्त निविदाओं को दिनांक 27.01.2025 को सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
10. निविदादाता अवयस्क नहीं होना चाहिए। निविदादाता को राजकीय विभाग/महत्वपूर्ण संस्थान में केंटिन संचालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
11. आवंटी को राज्य सरकार के नियम, कानून एवं परिपत्र के अनुसार सभी प्रकार के खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा एवं केंटिन संचालन हेतु आवश्यक लाईसेंस एवं प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवंटी की रहेगी।
12. कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सूरक्षा और बीमा आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार के नियमों एवं समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आवंटी की रहेगी।
13. केंटिन भवन का अनुमानित मासिक किराया 17124/— रू. अक्षरे सत्रह हजार एक सौ चौबीस रूपया मासिक है।

14. आवंटी को मासिक किराया अग्रिम रूप से माह के आरम्भ में दिनांक 01 से 05 के मध्य जमा कराना होगा।

15. आवंटी को एक माह के किराये की राशि धरोहर के रूप में जमा करानी होगी, जो अनुबंध की समयावधि पूर्ण अथवा निरस्त होने पर आवंटी को भवन में हुए किसी भी प्रकार के नुकसान या कमी–पूर्ति के समायोजन के अधीन लौटायी जावेगी।

16. केंटिन संचालन हेतु आवश्यक फर्नीचर और अन्य आधारभुत सुविधाओं को स्थापित करने की जिम्मेदारी आवंटी की रहेगी।

17. केंटिन स्थापित करने से पूर्व आवंटी को केंटिन में बेची जाने वाली खाद्य सामग्री, उसकी मात्रा एवं प्रस्तावित दर को जिला न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

18. किसी भी सामग्री को निर्धारित एमआरपी एवं बिल्डिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित दर से अधिक मूल्य पर विक्रय नहीं किया जावेगा।

19. बिल्डिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित सामग्री के अलावा अन्य कोई सामग्री केंटिन में विक्रय नहीं की जावेगी।

20. विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री का मूल्य बिल्डिंग केमटी के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकेगा।

21. आवंटी को सहज सामान्य रूप से सदृश्य स्थान पर सभी खाद्य सामग्री की मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी।

22. आवंटी को गुणवत्तायुक्त सामग्री एवं साफ–सफाई रखनी होगी।

23. बिल्डिंग कमेटी द्वारा समय–समय पर खाद्य निरीक्षक की उपस्थिति/सहयोग से केंटिन का निरीक्षण किया जावेगा।

24. केंटिन में कार्य करने वाले कर्मचारी बिल्डिंग कमेटी द्वारा तय गणवेश को धारण करेंगे।

25. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र डूंगरपुर रहेगा।

26. निविदा के माध्यम से केंटिन संचालन की अवधि दिनांक 31.03.2026 तक मान्य होगी। परस्पर सहमति से इस अवधि को बढाया भी जा सकता है।

27. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना करनी होगी।

28. आवंटी द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने अथवा बिना कोई कारण बताएं अनुबंध को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बिल्डिंग कमेटी जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को रहेगा।

10.01.2025

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
डूंगरपुर (राज0)

क्रमांकः लेखा / 2025 / 109 दिनांकः 10.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रभाराधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा शाखा, जिला न्यायालय, डूंगरपुर को इस निर्देश के साथ कि निविदा आवेदन पत्र रजिस्टर में इन्द्राज, शुल्क प्राप्त कर, आवेदन प्रारूप पर कार्यालय / न्यायालय की नमूना सील पुष्टि के लिये अंकित कर, प्रभाराधिकारी लेखा शाखा के लघुहस्ताक्षर से जारी किया जावें।
2. प्रभाराधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा शाखा, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सागवाडा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने।
3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसपुर / सीमलवाडा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने।
4. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय बिछीवाडा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने।
5. न्यायालय प्रबन्धक, जिला न्यायालय, डूंगरपुर।
6. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, जिला न्यायालय, डूंगरपुर को इस निर्देश के साथ कि राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करें।
7. सिस्टम असिस्टेंट, जिला न्यायालय, डूंगरपुर को जिला न्यायालय, डूंगरपुर की वेबसाईट पर अपलोड करने।
8. नोटिस बोर्ड।
9. कार्यालय प्रति।

10.01.2025

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
डूंगरपुर (राज०)